प्रेस ब्रीफ

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

दिनांक: 21 दिसंबर 2021

भूजल प्रबंधन एवं विनियमन पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन संख्या 9 में वर्ष 2013-18 की अवधि के लिए भूजल प्रबंधन एवं नियमन की निष्पादन लेखापरीक्षा की टिप्पणियां शामिल हैं। 2017-18 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी, जहां आवश्यक हो, शामिल किया गया है। इस प्रतिवेदन को आज संसद में प्रस्तुत किया गया है।

भारत में भूजल का परिदृश्य कृषि, औद्योगीकरण की प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं और अनिश्चित वर्षा के संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि के दबाव के कारण चुनौतियों से घिरा हुआ है। भूमिजल का दूषित होना और घटना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के अतिरिक्त आजीविका के लिए भी एक गंभीर खतरा बना हुआ है। तदनुसार, हमने भारत में भूजल क्षेत्र के लिए समग्र ढ़ांचे का पता लगाने के उद्देश्य से एक समग्र परिपेक्ष्य के माध्यम से भूजल प्रबंधन एवं विनियमन की निष्पादन लेखापरीक्षा करने का निर्णय लिया कि क्याः

1) भारत में भूजल के प्रबंधन हेतु तंत्र पर्याप्त, कुशल एवं प्रभावी है;
2) भूजल अधिनियम दक्षतापूर्ण और प्रभावपूर्ण रूप से लागू किए जाते है;
3) भूजल प्रबंधन एवं अधिनियम पर योजनाओं के लक्ष्य और उद्देश्य दक्षतापूर्वक एवं प्रभावी रूप से प्राप्त किए गए थे; और
4) भूजल से संबंधित सतत विकास लक्ष्य 6 के तहत प्रासंगिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित प्रयास किए गए है।

मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष

भूजल का प्रबंधन

पुनर्भरण के संबंध में भूजल के उपयोग का प्रतिशत, जिसे देश में भूजल के निष्कर्षण स्तर के रूप में जाना जाता है, 63 प्रतिशत था। 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में, निष्कर्षण का स्तर निष्कर्षण के राष्ट्रीय स्तर की तुलना में अधिक था। चार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली, हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान) में निष्कर्षण का स्तर 100 प्रतिशत से अधिक था, यह दर्शाते हुए कि इन राज्यों में भूजल का निष्कर्षण, भूजल के पुनर्भरण को पार कर गया था। जिला स्तर पर, 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में, 267 जिलों में 64 प्रतिशत से 385 प्रतिशत के बीच निष्कर्षण का स्तर 63 प्रतिशत से अधिक था। 2004 से 2017 की अवधि के दौरान, भूजल के निष्कर्षण के स्तर में 58 से 63 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान, सुरक्षित ब्लॉकों के प्रतिशत में कमी हुई है जबकि अर्ध-संकटपूर्ण, संकटपूर्ण और अति-दोहन के रूप में वर्गीकृत खंडों के प्रतिशत में लगातार वृद्धि हुई है। 2015 के आंकड़ों के अनुसार सी.जी.डब्ल्यू.बी. के द्वारा जांच किए गए 32 राज्यों में 15,165 स्थानों के आधार पर, भूजल में आर्सेनिक (697 स्थानों), फ्लोराइड (637 स्थानों), नाईट्रेट (2,015 स्थानों), लोहा (1,389 स्थानों) और लवणता (587 स्थानों) का अनुमेय सीमा से संदुषक का स्तर अधिक था। सी.जी.डब्ल्यू.बी. और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में भूजल से संबंधित विभागों/एजेंसियों में मानव संसाधनों की कमी थी।

दिसंबर 2019 तक, 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने भूजल के प्रबंधन हेतु कानून बनाया था। इनमे से चार राज्यों में, यह कानून केवल आंशिक रूप से लागू किया गया था; छः अन्य राज्यों में, विभिन्न कारणों से भूजल कानून का अधिनियमन लंबित था। शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने भूजल हेतु कानून बनाने के लिए कार्रवाई नहीं की थी।

भूजल विनियमन

केंद्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण (सी.जी.डब्ल्यू.ए.) का गठन (जनवरी 1997) भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन एवं नियंत्रण और इस उद्देश्य हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु किया गया था। विनियमन में अनेक खामियां पाई गई थी जैसे अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बिना संचालन, अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने एवं नवीनीकरण में देरी। ऐसे अनेक मामले थे जिसमें अनापत्ति प्रमाण-पत्र में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन हुआ था। व्यापक उल्लंघनों के बावजूद, सी.जी.डब्ल्यू.ए. ने (2013-18) केवल 99 परियोजना प्रस्तावकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

18 राज्यों में 328 मामलों के नमूने में से जहां एक परियोजना प्रस्तावक को दी गई परिचालन की सहमति (सी.टी.ओ.) एक शर्त शामिल थी जिसमें भूजल निष्कर्षण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी, 253 परियोजनाएं (77 प्रतिशत) अनापत्ति प्रमाण-पत्रों के बिना परिचालित थी। 15 राज्यों में, 2013 से पैक किए गए पेयजल इकाइयों को 3,189 भारतीय मानक ब्यूरों (बी.आई.एस.) लाइसेंस जारी किए गए थे, जिनमे से 2,475 मामलों (78 प्रतिशत) में परियोजना प्रस्तावक सी.जी.डब्ल्यू.ए. से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना कार्य कर रहे थे।

भूजल प्रबंधन और विनियमन पर योजनाओं का कार्यान्वयन

बारहवीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान ` 3,319 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ 'भूजल प्रबंधन और विनियमन' पर एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना को लागू करने के लिए अनुमोदित किया गया था और जिसका समग्र उद्देश्य भूजल संसाधनों का उचित मूल्यांकन और प्रबंधन था ताकि इसकी स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। इस योजना को 2017-20 के दौरान ` 992 करोड़ की अनुमानित लागत से जारी रखा गया था। 2012-19 हेतु ` 2,349.48 करोड़ के बजट आंकलन के संबंध में योजना के तहत वास्तविक व्यय ` 1,109.73 करोड़ था। देश में एक्विफर मैपिंग के लिए 24.8 लाख वर्ग कि.मी. पहचान किए गए क्षेत्र के संबंध में सी.जी.डब्ल्यू.बी. ने सितंबर 2020 तक 13 लाख वर्ग कि.मी. (52 प्रतिशत) के क्षेत्र को कवर किया था। इसके अलावा, केवल 6.5 लाख वर्ग कि.मी. क्षेत्र के लिए एक्विफर मैपिंग रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया था और सितंबर 2020 तक लगभग 3 लाख वर्ग कि.मी. क्षेत्र के लिए भूजल के नमूने की बनावट को अंतिम रूप दिया गया था। यद्यपि राष्ट्रीय जल नीति 2012 के अनुसार घटक सहभागी भूजल प्रबंधन (पी.जी.डब्ल्यू.एम.) के तहत 2013-17 की अवधि के लिए ` 575.38 करोड़ का परिव्यय प्रदान किया गया था, जिसमें से कोई व्यय नहीं किया गया था। सी.जी.डब्ल्यू.बी. में क्षमता निर्माण पर सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के साथ सी.जी.डब्ल्यू.बी. की विभिन्न गतिविधियों की बैंचमार्किंग के लिए गठित एक विशेषज्ञ समूह द्वारा की गई 12 सिफारिशों (दिसंबर 2012) में से चार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

सतत विकास के लक्ष्य एवं भूजल

लक्ष्य 6.4 के तहत 70 प्रतिशत की शुद्ध वार्षिक उपलब्धता के बजाए प्रतिशत वार्षिक भूजल निष्कर्षण हेतु लक्षित मूल्य के विपरीत राष्ट्रीय स्तर 63 प्रतिशत था। तथापि, आठ राज्य/केंद्र

शासित प्रदेश ऐसे थे जहां यह मूल्य 70 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना से अधिक था। 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 534 जिलों में से 202 जिलों में 71 प्रतिशत से 385 प्रतिशत तक निष्कर्षण का स्तर था। स्थानीय समुदायों के जल प्रबंधन को समर्थन और सुदृढ़ करने के संबंध में लक्ष्य 6 बी के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

BSC/SS/TT